भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 165

उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

विद्यालयों में नामांकन

†165. श्रीमती डिम्पल यादव:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2017-18 से 2024-25 तक उत्तर प्रदेश के सरकारी और निजी दोनों प्रकार के विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों की वर्षवार और जिलावार संख्या कितनी है तथा विगत पांच वर्षों के दौरान देश भर में उक्त विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(ख) वर्ष 2017-18 से 2024-25 तक उत्तर प्रदेश के उक्त विद्यालयों में स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की जिलावार और वर्षवार संख्या कितनी है तथा वर्ष 2017-18 से 2024-25 तक देश भर में उक्त विद्यालयों में स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की स्कूल/वर्षवार संख्या कितनी है; और
(ग) सरकार द्वारा स्कूल में नामांकन में कमी और स्कूल छोड़ने की दर में वृद्धि के लिए चिह्नित कारणों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इन मुद्दों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) : स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिए गए स्कूल शिक्षा के संकेतकों पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज+) तैयार की है। यूडाइज+ के अनुसार, वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार छात्र नामांकन की संख्या और वर्ष 2017-18 से 2024-25 तक उत्तर प्रदेश के सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में जिला-वार छात्र नामांकन संख्या https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

(ख): यूडाइज+ के अनुसार, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017-18 से 2024-25 तक ड्रॉपआउट दर निम्नानुसार है:

वर्ष	ड्रॉपआउट दर								
	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक			माध्यमिक		
	बालक	बालिका	समग्र	बालक	बालिका	समग्र	बालक	बालिका	समग्र
2017-18	7.2	7.1	7.2	5.0	9.8	7.4	18.7	19.5	19.0
2018-19	9.5	9.9	9.7	3.2	8.4	5.7	15.5	15.6	15.5
2019-20	2.8	2.5	2.7	0.2	4.0	2.1	14.6	14.2	14.4
2020-21	2.3	2.1	2.2	2.7	6.5	4.6	11.9	13.2	12.5
2021-22	2.4	3.0	2.7	1.3	4.7	2.9	9.5	10.0	9.7
2022-23	18.6	19.0	18.8	15.0	17.2	16.0	14.9	14.4	14.7
2023-24	1.7	1.7	1.7	3.1	4.8	3.9	9.8	7.3	8.7
2024-25	0.0	0.0	0.0	2.9	3.1	3.0	8.7	5.1	7.0

(ग): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) की वर्ष 2023-24 के लिए 'आवधिक श्रम बल सवेक्षण (पीएलएफएस)' नामक रिपोर्ट के अनुसार, बच्चों के स्कूल छोड़ने के मुख्य कारण घर की आय में सहायता करना, घर के काम करना, पढ़ाई में रुचि न होना, पढ़ाई के साथ तालमेल न बिठा पाना, बच्चे को कोई दिव्यांगता होना, खराब सेहत, माता-पिता का पढ़ाई को ज़रूरी न समझना, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, शादी वगैरह आदि हैं।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। केंद्र सरकार, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र को समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के तहत बालवाटिका से कक्षा 8 तक गरम पका हुआ भोजन देकर सहायता करती है। सरकारी स्कूलों में ड्रॉपआउट कम करने और नामांकन बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए उत्तर प्रदेश सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता/अनुदान भी प्रदान किया जाता है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलना/सुदृढ़ करना, स्कूल अवसंरचना को सुदृढ़ करना, कक्षा 12 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना और उन्नयन तथा संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नामक आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों की स्थापना, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत छात्रावास, परिवहन भत्ता, नामांकन अभियान चलाना, मौसमी छात्रावास/आवासीय शिविर, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा और आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान, नि;शुल्क पाठ्य पुस्तकें और नि;शुल्क यूनिफॉर्म, परिवहन/एस्कॉर्ट सुविधा इत्यादि प्रदान करना शामिल है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक यंत्रों और उपकरणों के लिए सहायता अनुदान भी प्रदान किया जाता है।

******